भूमिहीनों के हस्ताक्षर से माले नेताओं पर फर्जी मुकदमे का आरोप

पूर्व विधायक अजीत सिंह ने प्रशासन पर उठाये सवाल



बक्सर (आससे)। भूमिहीन गरीबों से वासगीत जमीन के लिए आवेदन लिया गया। आरोप है कि उन्हीं आवेदनों पर लिए गए हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का इस्तेमाल भाकपा (माले) के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में किया गया। इस मामले को लेकर डुमरांव के पूर्व विधायक और इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार सिंह ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को उन्होंने गिरिधर बरांव गांव में पार्टी नेताओं और नट जाति के भूमिहीन परिवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता दरबार लगाकर गरीबों की समस्याएं सुनने का दावा करती है। लेकिन जब भूमिहीन गरीब अपने हक की मांग करते हैं, तो उनकी समस्याएं सुलझाने के बजाय उन पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं को भी मुकदमों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सोनवर्षा थाना कांड संख्या 115/26 का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में भाकपा (माले) के कई नेताओं को आरोपी बनाया गया है। इनमें नावानगर प्रखंड सचिव हरेंद्र राम, प्रखंड कमेटी सदस्य संतोष यादव, पूर्व विधायक के निजी सहायक नासिर हुसैन और मणियां पैक्स अध्यक्ष नीरज कुमार यादव शामिल हैं। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि नावानगर प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में नट जाति के भूमिहीन परिवारों से वासगीत जमीन के लिए आवेदन लिए गए थे। इस दौरान उनके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान भी लिए गए। आरोप है कि बाद में इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल माले नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने में किया गया। उन्होंने दावा किया कि प्राथमिकी दर्ज कराने वाले बृज नट को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि आवेदन के दौरान लिए गए हस्ताक्षरों का इस्तेमाल इस उद्देश्य से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ है, तो यह प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। डॉ. अजित सिंह ने कहा कि यह पूरा मामला नावानगर प्रखंड कार्यालय में सामने आया, जहां अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरांव के अनुमंडल पदाधिकारी और सोनवर्षा थानाध्यक्ष की मौजूदगी का दावा किया गया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। भाकपा (माले) ने भूमिहीन नट परिवारों को तत्काल वासगीत जमीन उपलब्ध कराने और पार्टी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इसी मांग को लेकर चार नवंबर को सोनवर्षा थाना पर धरना-प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा। पार्टी ने गरीबों, भूमिहीनों और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।

चक्रवात से धान की फसल बर्बाद

कांग्रेस, राजद और जन सुराज के नेताओं ने उठायी मुआवजे की मांग

(आससे)। अर्णव चक्रवात और बेमौसम भारी बारिश ने जिले के किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेतों में पककर तैयार धान की खड़ी फसल तेज हवा और बारिश के कारण जमीन पर बिछ गई है। कई किसानों की महीनों की मेहनत चंद घंटों में बर्बाद हो गई। इस नुकसान ने किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। किसी को बेटी की शादी की चिंता है, तो किसी के सामने बच्चों की पढ़ाई और कर्ज चुकाने की चुनौती है।

इस बीच बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉ. मनोज पांडेय, समाजवादी विचार मंच के संयोजक और राजद नेता चंद्रशेखर कुमार उर्फ संतोष मुखिया और जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष बजरंगी मिश्रा ने सरकार से तत्काल राहत और उचित मुआवजा देने की मांग की है। कांग्रेस नेता डॉ. मनोज पांडेय ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जिला प्रशासन से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 50 हजार रुपये मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी चक्रवाती तूफान से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। किसान अभी उससे उबर भी नहीं पाए थे कि दोबारा प्राकृतिक आपदा ने उन्हें संकट में डाल दिया। उन्होंने प्रभावित गांवों और पंचायतों में कृषि विशेषज्ञों की टीम भेजकर निष्पक्ष



सर्वे कराने, कृषि ऋण माफ करने तथा अगली फसल के लिए मुफ्त बीज-खाद उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही फसल बीमा के दावों का शीघ्र निपटारा कर राहत राशि किसानों के खातों में भेजने पर जोर दिया।

समाजवादी विचार मंच के संयोजक और राजद नेता चंद्रशेखर कुमार उर्फ संतोष मुखिया ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर किसानों की बदहाली पर ध्यान देने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि तैयार फसल बर्बाद होने से किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। खेती में लगी पूंजी डूबने के साथ उनके सामने परिवार चलाने और कर्ज चुकाने की समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विशेष सर्वे कराने और नुकसान के आकलन के आधार पर प्रति एकड़ 50 हजार रुपये मुआवजा देने की मांग की।

साथ ही कृषि ऋण माफी और अगली फसल की बुवाई के लिए मुफ्त बीज, खाद व जरूरी कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की अपील की।

जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष बजरंगी मिश्रा ने कहा कि धान की फसल बर्बाद होने से किसानों के परिवारों की उम्मीदें टूट गई हैं। कई किसानों ने फसल से बच्चों की फीस भरने, बेटियों की शादी करने और कर्ज चुकाने की योजना बनाई थी।

उन्होंने कहा कि अधिकारी गांवों और खेतों तक पहुंचकर वास्तविक नुकसान का आकलन करें। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाए। प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा और फसल बीमा का लाभ मिले।

जलजमाव वाले खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था हो तथा अधिक नुकसान वाले क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को आश्वासन नहीं, बल्कि समय पर आर्थिक मदद चाहिए। तीनों नेताओं ने सरकार से मांग की है कि फसल क्षति का आकलन कर राहत प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि संकट से जूझ रहे किसान अगली फसल की तैयारी कर सकें।

कृषि सखियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न, बांटे गये प्रमाण पत्र



बक्सर (आससे)। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहा कृषि सखियों का पांच दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शनिवार को पूरा हो गया।प्रशिक्षण के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉ. देवकरन और विशेषज्ञ डॉ. हरिगोविंद मौजूद रहे। इसके अलावा कृषि विभाग के सहायक निदेशक आकृषा राज, सहायक निदेशक प्रियंका कुमारी तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजन शुक्ला की उपस्थिति में कुल आठ कृषि सखियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

प्रशिक्षण प्राप्त ये कृषि सखियां अब अपने-अपने कार्यक्षेत्र में 50 एकड़ रकबे के तहत आने वाले लगभग 125 किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी देकर जागरूक करेंगी। प्रशिक्षण में भाग लेने वाली सखियों में मुख्य रूप से किरण देवी, रिंकू देवी, माया देवी, कंचन कुमारी, कंचन देवी, अनिशा कुमारी और नेहा देवी शामिल रहीं। कार्यक्रम का संचालन कृषि विशेषज्ञ डॉ. राम केवल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन विशेषज्ञ डॉ. हरिगोविंद ने दिया, जबकि आयोजन में राकेश मणि ने सक्रिय सहयोग निभाया।

'बटोहिया' में झलकती है गिरमिटिया मजदूरों की पीड़ा

भोजपुरी साहित्य मंडल ने मनायी बाबू रघुवीर नारायण की जयंती



बक्सर (आससे)। भोजपुरी साहित्य मंडल के तत्वावधान में शनिवार की संध्या शहर के राजकीय अनुमंडलीय पुस्तकालय में महान भोजपुरी कवि बाबू रघुवीर नारायण की जयंती मनाई गई। समारोह में साहित्यकारों और कवियों ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। साथ ही भोजपुरी साहित्य में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष प्रो. डॉ. अरुण मोहन भारवि ने की। संचालन मंडल के सचिव डॉ. वैरागी प्रभाष चतुर्वेदी ने किया। संस्था के संरक्षक गणेश उपाध्याय ने अतिथियों का अभिनंदन किया। अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. डॉ. अरुण मोहन भारवि ने कहा कि बाबू रघुवीर नारायण की कालजयी रचना 'बटोहिया' एक जागरण गीत है। इसमें विदेशों में गए गिरमिटिया मजदूरों और किसानों की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है। साथ ही भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का भी सुंदर चित्रण किया गया है।

डॉ. विष्णुदेव ने कहा कि 'बटोहिया' भोजपुरी और हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण परंपरा का हिस्सा है। 'बटोहिया', 'फिरंगिया' और 'विदेशिया' जैसी रचनाएं इसी काव्य परंपरा से जुड़ी हैं। कवि धन्नु लाल प्रेमातुर ने कहा कि इस साहित्यिक परंपरा को जीवित रखना जरूरी है। अपने पुरखों को याद करना हमारी श्रेष्ठ सांस्कृतिक परंपरा है। संस्था के संरक्षक गणेश उपाध्याय ने कहा कि भोजपुरी के इस महान कवि को याद करना भोजपुरी भाषा और साहित्य को सम्मान देना है।

समारोह में कवियों ने काव्य पाठ कर साहित्यिक माहौल को जीवंत बनाया। इसमें भगवान पांडेय, रामेश्वर प्रसाद वर्मा, कामेश्वर पांडेय, महेश ओझा 'महेश', शिव बहादुर पांडेय, उमेश पाठक 'रवि', भगवान सिंह, संजय सागर, धनंजय गुड़ाकेस, हृदयानंद हेहर, अनुपम ओझा, वशिष्ठ पांडेय, शशिभूषण मिश्र, मो. फारूक सैफी, नर्देश्वर उपाध्याय, राम प्रताप चौबे, राज अजनवी, वैदेही श्रीवास्तव, हीरालाल वर्मा, अमरेंद्र दुबे, राम प्रसन्न द्विवेदी, राम मुरारी, प्रवीन ओझा, राजा रमन पांडेय, कुशध्वज सिंह 'मुन्ना' सहित कई साहित्यकार एवं कवि उपस्थित रहे।

कैलाशपति मिश्रा की 14वीं पुण्यतिथि की तैयारी पूरी



बक्सर (आससे)। भारतीय राजनीति के पुरोधा और जनसंघ काल से भाजपा को सींचने वाले श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा की 14वीं पुण्यतिथि आगामी 3 नवंबर को ब्रह्मपुर विधानसभा के सेमरी प्रखंड अंतर्गत आशा पड़री में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। इस राष्ट्रीय और वैचारिक कार्यक्रम की सफलता को लेकर ब्रह्मपुर में %कैलाशपति मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान% की एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा डुमरी मंडल अध्यक्ष बंशीधर पांडेय ने की।

बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कैलाशपति मिश्रा जी सादगी, ईमानदारी और संगठन के अद्वितीय उदाहरण थे। चक्की मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि उनका जीवन आज की युवा पीढ़ी के लिए एक खुली पाठशाला है, जो पद से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। डुमरी मंडल अध्यक्ष बंशीधर पांडेय ने कहा कि शून्य से शिखर तक भाजपा को पहुंचाने में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा है।

संस्थान ने सभी क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं से 3 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की है। बैठक में आतिश लाल, उदय उज्जैन, मन जी पासवान, सोनू पांडेय और राहुल कुमार सहित दर्जनों गणमान्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

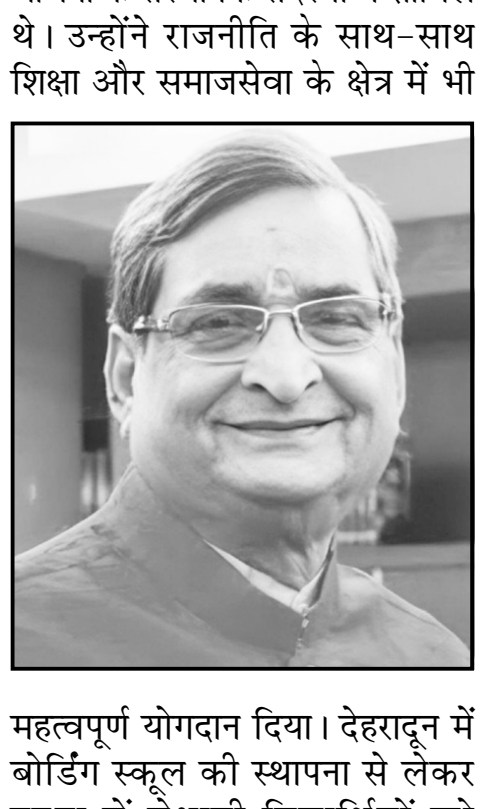
आरके सिन्हा के निधन पर शोक सभा, दी गयी श्रद्धांजलि

ग्राम सुधार समिति के कार्यालय में जुटे गणमान्य

बक्सर (आससे)। शहर के सोहनीपट्टी स्थित ग्राम सुधार समिति के कार्यालय में रविवार को पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ समाजसेवी आरके सिन्हा के निधन पर शोकसभा आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता समिति के सचिव डॉ. दिलीप कुमार सिन्हा उर्फ गुरु लाल ने की। इस दौरान लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वक्ताओं ने उनके निधन को कायस्थ समाज के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जगत के लिए बड़ी क्षति बताया।

डॉ. दिलीप कुमार सिन्हा ने कहा कि आरके सिन्हा ने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल की थी। उन्होंने महज तीन हजार रुपये से सुरक्षा व्यवसाय की शुरुआत की और अपनी मेहनत से एसआईएस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। आज इस कंपनी का कारोबार देश-विदेश तक फैला है। यह उनकी दूरदर्शिता, लगन और मेहनत का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि आरके सिन्हा भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने राजनीति के साथ-साथ शिक्षा और समाजसेवा के क्षेत्र में भी



महत्वपूर्ण योगदान दिया। देहरादून में बोर्डिंग स्कूल की स्थापना से लेकर पटना में मेधावी विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने तक, उन्होंने कई ऐसे काम किए, जिनसे जरूरतमंदों को आगे बढ़ने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आरके सिन्हा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अंतरराष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे थे। %संगत-पंगत% के माध्यम से उन्होंने कायस्थ समाज को जोड़ने और सामाजिक एकता को मजबूत करने का प्रयास किया। वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और लेखक के रूप में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

शोकसभा में मौजूद लोगों ने उनके सुपुत्र और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा सहित पूरे परिवार के प्रति संवेदना जताई। लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। इस मौके पर सुधीर कुमार सिन्हा, मनोज लाल, सुलालन लाल, सुजीत सिन्हा, सत्यराज सिन्हा, बबुआ अस्थाना, पप्पू लाल, रामजी राय, सुधीर पांडेय, विवेक श्रीवास्तव, संतोष पांडेय, रवि मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाये रखने का लिया गया संकल्प



बक्सर (आससे)। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शनिवार को समाहरणालय सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रभारी जिला पदाधिकारी निहारिका छवि ने की। इस दौरान देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने का संकल्प लिया गया। साथ ही लोगों से राष्ट्रीय एकता की भावना को अपने जीवन में अपनाने की अपील की गई। कार्यक्रम में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में सरदार पटेल की अहम भूमिका रही है। उनके विचार और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत किया जा सकता है। इस मौके पर आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता बनाए रखने पर जोर दिया गया। सरकारी कर्मियों और आम नागरिकों से अपने दैनिक जीवन और कार्यशैली में एकता की भावना अपनाने की अपील की गई। साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया गया।

Chola Enter a better life | **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड**
कॉरपोरेट ऑफिस : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 छत सी55 4 थिरु वि का एण्डस्ट्रियल इस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई-600032 तामिलनाडू

मांग सूचना

सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (दि ॲक्ट) एवं सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (दि रुल्स) की वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन के प्रावधानों के अधीन अधोहस्ताक्षरकर्ता चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कम्पनी (निरापद) लेनदार का अधिनियम ते अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण एवं अनुभाग 13 (12) सहपठित नियमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के अनुभाग 13 (2) के अधीन, निम्नलिखित ऋणी (ऋणियों) को इस सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर क्रमशः सूचना (सूचनाओं) में वर्णित राशि के पुनर्भुगतान हेतु 3 मांग सूचना (सूचनाएं) जारी की गई थी। अधोहस्ताक्षरकर्ता तर्कसंगत रुप से विश्वास करता है कि ऋणी (ऋणियों) मांग सूचना / सूचनाओं की सेवा को डाला हैं। इसलिए सूचना की सेवा को प्रत्ययोजना एवं नियमानुसार प्रकाशित द्वारा प्रभावित किया गया है। मांग सूचना सूचनाओं की अंतर्वस्तु को यहां नीचे अवतरित किया जाता है।

अ. क्र.	ऋणी / ऋणियों एवं सहऋणी / ऋणियों का नाम एवं पता	ऋण राशि	मांग सूचना दिनांक एवं बकाया राशि	निरापद सम्पत्ति / परिसम्पत्ति का विवरण
1	ऋण खाता संख्या : LAP3SIW000136249 1. श्री./ श्रीमती उत्कर्ष कुमार 2. श्री./ श्रीमती प्रभादेवी (ऊर्फ) प्रभा देवी 3. श्री./ श्रीमती अरुणवर्मा (ऊर्फ) अरुण वर्मा **पता :** द्वारा, अरुण कुमार वर्मा, रघुनाथपुर, अमोदेई, पूर्वी चंपारण, बिहार-845 433, माध्यमिक विद्यालय के पास, पूर्वी चंपारण, बिहार-845 433; **इसके अलावा :** मौजा : अमोदेई टोला रघुनाथपुर, थाना : रामगढ़वा, थाना नंबर 68, खाता नंबर 125, जिला : पूर्वी चम्पारण, आमोदेई टोला, रघुनाथपुर, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण, बिहार-845 305।	रु. 20,00,000/-	**09.10.2026** रु. **20,68,594/- (रुपये बीस लाख अड़सठ हज़ार पाँच सौ चौरानवे मात्र)** दि. **09.10.2026** तक	➢ **दस्तावेज़ के अनुसार पता -** खाता 125, खेसरा 1302, रकबा 0 एकर, 2.62 दशमलव (डिसिमल), हल्का रघुनाथपुर, अंचल : रामगढ़वा, मुजफ्फरपुर, रघुनाथपुर, माध्यमिक विद्यालय के पास, 1302, पूर्वी चंपारण, बिहार। ➢ **वास्तविकता के आधार पर पता -** प्लॉट नं. 1302 / मौजा : आमोदेई टोला रघुनाथपुर, थाना. रामगढ़वा, थाना नं. 68, खाता नं. 125, जिला : पूर्वी चंपारण - 845 305 बिहार। ➢ **वास्तविक के अनुसार - पूर्व :** 12 फीट चौड़ी सड़क; **पश्चिम :** एच/ओ. अनलदेव तिवारी; **उत्तर :** एच/ओ. निज मोकिर (दादी); **दक्षिण :** एच/ओ. धर्मेन्द्र महतो. ➢ **विलेख के अनुसार के अनुसार - पूर्व :** निजी रोड; **पश्चिम :** अनलदेव तिवारी; **उत्तर :** निज मोकिर; **दक्षिण :** धर्मेंद्र महतो।

ऋणी ऋणियों को ऐतद्ब द्वारा मांग सूचना (सूचनाओं की पालना की सलाह दी जाती एवं इस प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों के भीतर मय लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, वापस किए प्रभारों, लागत एवं भुगतान की वसुली की दिनांक तक समस्त व्ययों जो यहां उपरोक्त वर्णित मांगी गई राशि का भुगतान देवें। ऋणी (ऋणियों) यह नोट कर लेवें कि **चोलामंडलम् इन्व्हेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड** एक निरापद लेनेदार है एवं ऋणी (ऋणियों द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा ऋणी (ऋणियों द्वारा रखी गई अचल सम्पत्ति / परिसम्पत्तियां हैं जो निरापद सम्पत्ति (सम्पत्तियों के विरुद्ध दिया गया निरापद कर्ज है। प्राणी ऋणियों) निर्धारित समय के भीतर पूर्ण रुपेण उनके दायित्वों देनेदारियों का निर्वहन के विफल होने की स्थिति में निरापद लेनदार निरापद सम्पत्ति (सम्पत्तियों) सहित परंतु अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत नियमों एवं भुगतान की वसुली के अधीन इसकी बिक्री द्वारा हस्तांतरित में सीमित या अन्य कोई उपलब्ध निदान प्रेरक द्वारा अधिनियम के अनुसार 13 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में लाने जाने का सर्वाधिक सुरक्षित है। निरापद लेन बिक्री के अधिकार को लागू करने या निरापद (सम्पत्तियों के स्थानांतरण आगामी बिक्री करने के पूर्व **संलग्न एवं / या सील** करने का भी शक्ति प्राप्त है। निरापद लेनदार शेष राशि की वसुली में कानूनी कार्यवाह प्रारंभ करने का भी अधिकार है, यदि निरापद लेनेदार में बकाया देय की वसुली में सम्पत्ति अपर्याप्त पाई जाती है। इस निदान के अतिरिक्त एवं अन्य कोई कानून के अधीन निरापद लेनदार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है।
ऋणी (ऋणियों) का ध्यान, अधिनियम के अनुभाग 13 (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि वे उपलब्ध समय के निरापद सम्पत्तियों को छुड़वा लेवें एवं द्वारा स्थानान्तरित किये जाने, पट्टे पर देना या अन्यथा (व्यवसाय के अन्य कोई साधारण अवस्था में) बगैर पूर्व लिखित सूचना एवं गैर अनुपालन नहीं करे, यदि ऐसा किया जाता है तो उपर्युक्त अधिनियम के अनुभाग 29 के अधीन एक दंडनीय अपराध है। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास मांग सूचना की प्रतिलिपि है एवं ऋणी (ऋणियों) यदि वे चाहे ते कार्यालय ते नियत समय एवं कार्यदिवस में इस सूचना की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : पूर्वी चम्पारण, बिहार
दिनांक : 09.10.2026
कृते **चोलामंडलम् इन्व्हेस्टमेंट एवं फायनेंस कम्पनी लिमिटेड**

स्कॉर्पियो की टक्कर से आरओबी से नीचे गिरा बाइक सवार

प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर, वाहन समेत चालक फरार



बक्सर (आससे)। चौसा रेलवे ओवरब्रिज पर शनिवार की शाम एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दो सगे भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर पीछे बैठा एक भाई उछलकर सीधे ओवरब्रिज से नीचे सड़क पर जा गिरा, जबकि दूसरा भाई पुल पर ही गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद चालक स्कॉर्पियो समेत मौके से फरार हो गया। घायलों की पहचान इटाढ़ी थाना क्षेत्र के चिल्हर गांव निवासी बबन राम के 30 वर्षीय पुत्र राजू राम और उनके छोटे भाई चंदन राम के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, दोनों भाई किसी काम से बक्सर आए थे और बाइक से चौसा के रास्ते वापस अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक चौसा रेलवे ओवरब्रिज पर चढ़ी, सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से उनकी आमने-सामने की सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पुल के नीचे गिरे युवक और पुल पर तड़प रहे दूसरे भाई को उठाया और तत्काल चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। इधर, सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। पुलिस ने घटना की जानकारी घायलों के परिजनों को दे दी है। साथ ही पुलिस फरार स्कॉर्पियो और उसके चालक की पहचान करने में जुट गई है।

Chola Enter a better life | **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड**
कॉरपोरेट ऑफिस : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 छत सी55 4 थिरु वि का एण्डस्ट्रियल इस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई-600032 तामिलनाडू

ई-नीलामी विक्रय सूचना (विक्री केवल ई-बोली के माध्यम से)

2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) और 9 (1) के प्रावधानों के अधीन अचल सुरक्षित आस्तियों के विक्रय के लिए बिक्री सूचना।

आमजन और विशेष रुप से **कॉलम (ए)** में दर्शाए गए ऋणधारक(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति(यां) जो कि **कॉलम (सी)** मे दर्शाई गई है का **कॉलम (डी)** में उल्लेखित रचनात्मक / भौतिक कब्जा का बंधक / प्रभात सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है जिसको सुरक्षित लेनदार, **हाउसिंग चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **जहाँ है जैसा है, जैसा है जो है और जो कुछ भी वहां है** के आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बेचा जाएगा। प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम **8 (6)** के अधीन यहां ऋणधारक / बंधककर्ता(ओं) / कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधियों (चाहें ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(रों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों) और माननीय ऋणधारक / बंधनकर्ता(ओं) (मृतक के पश्चात) के वारिस (रों) जैसा कॉलम (ए) में इंगित किया गया है, चो यह नोटिस दिया जा रहा है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार, चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एंड फायनेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाईट यानी **https://www.cholamandalam.com** और **www.auctionfocus.in** में दिए गये लिंक को देखें।

क्र. सं.	(ए) ऋण खाता संख्या ऋणधारक(कों) / बंधककर्ता(ओं) / जमानदार(रों) के नाम	(बी) बकाया राशि जो वसूल की जाती है। (सुरक्षित बकाया)	(सी) अचल सम्पत्ति / सुरक्षित आस्ति का विवरण	(डी) कब्जे का प्रकार	(ई और एफ) आरक्षित मूल्य (रुपये में)	बयाना राशि जमा (रुपये में)	(जी) नीलामी को तिथि और समय
1.	खाता क्र. संख्या : **HL25HJP000070986** **1. श्री. / सुश्री नरेश राय २. श्री. / सुश्री राम रे ३. श्री. / सुश्री पुनम देवी** **क्र. संख्या 1, 2 और 3 के लिए पता :** द्वारा, राम सागर राय, मानिकपुर पकड़ी, वैशाली, स्कूल के पास, लालगंज, बिहार-844 121। **क्र. संख्या 1, 2 और 3 के लिए पता :** खेसरा संख्या 446, खाता संख्या : 123 के अंतर्गत मौजा : मानिकपुर पकड़ी, थाना : लालगंज, थाना संख्या : 13, पंजिकृत कार्यालय : लालगंज, जिला : वैशाली, (बिहार)-8441 21।	**01.07.2026 तक ₹ 20,01,382/- (रुपये बीस लाख एक हज़ार तीन सौ बयासी मात्र)**	खेसरा संख्या : 446, खाता संख्या : 123 के अंतर्गत मौजा : माणिकपुर पकडी, थाना : लालगंज, थाना संख्या : 13, पंजिकृत कार्यालय : लालगंज, जिला : वैशाली, (बिहार)-844 121। ➢**वास्तविकता के आधार पर - उत्तर :** नीज; **दक्षिण :** नीज; **पूर्व :** नीज रास्ता; **पश्चिम :** 10 फीट पीसीसी सड़क । ➢**विलेख के अनुसार - उत्तर :** नीज मनमोकिर; **दक्षिण :** नीज मनमोकिर; **पूर्व :** खरीदार; **पश्चिम :** सड़क।	रचनात्मक कब्जा	**₹ 65,34,000/- (रुपये पेंसठ लाख चौंतीस हज़ार मात्र)**	**₹ 6,53,400/- (रुपये छह लाख तिरपन हजार चार सौ मात्र)**	**04.12.2026 को सुबह 2.00 से सायं. 04.00 तक (निविदा दस्तावेज के संदर्भ में प्रत्येक 5 मिनिट के स्वचालित विस्तार सहित)**
2.	खाता क्र. संख्या : **LAP3ARH000114378** **1. श्री. / सुश्री गजेंद्र सिंह २. श्रीमान/सुश्री राज देवी** **३. श्री. / सुश्री उपेन्द्र सिंह ४. श्री. / सुश्री मीरा देवी ५. श्री. / सुश्री हरदेव सिंह** **क्र. संख्या 1 से 5 के लिए पता :** द्वारा, हरदेव प्रसाद सिंह, गांव : बालूनी, गोवर्धन मूर्ति के पास, भोजपुर, बिहार-802 201। **क्र. संख्या 1 से 5 के लिए पता :** खेसरा संख्या : 2023, खाता संख्या : 342, मौजा : भेलाई, थाना : उदवंतनगर, अंचल : उदवंतनगर, उप-पंजिकृत कार्यालय : आरा, थाना नं. 228, भेलाई, उदावंतनगर, आरा, बिहार-802 302।	**13.04.2026 तक ₹ 25,59,862/- (रुपये पच्चीस लाख उनसठ हजार आठ सौ बासठ मात्र)**	खाता नंबर 342 खेसरा नंबर 2023, मौजा भेलाई, उदवंतनगर, यूनिवर्सिटी के पास, 2023, भोजपुर, बिहार। ➢**जांच के अनुसार - उत्तर :** 10 फीट कच्ची रास्ता फिर रामाशंकर सिंह; **दक्षिण :** रामजी सिंह (प्लॉट); **पूर्व :** हरेराम यादव (नए मालिक); **पश्चिम :** सतीश सिंह (प्लॉट)। ➢**विलेख के अनुसार - उत्तर :** रामाशंकर सिंह वा रास्ता 4 फीट X 4 फीट; **दक्षिण :** रामजी सिंह हिसेदार; **पूर्व :** निज मोकिर; **पश्चिम :** सतीश सिंह हाल बैदर।	रचनात्मक कब्जा	**₹ 54,09,000/- (रुपये चौवन लाख नौ हज़ार मात्र)**	**₹ 5,40,900/- (रुपये पाँच लाख चालीस हजार नौ सौ मात्र)**	**04.12.2026 को सुबह 2.00 से सायं. 04.00 तक (निविदा दस्तावेज के संदर्भ में प्रत्येक 5 मिनिट के स्वचालित विस्तार सहित)**

निरीक्षण दिनांक और समय : **02.12.2026** को प्रातः **11.00** बजे से सायं. **4.00** बजे के बीच | न्यूनतम बोली वृद्धि राशि : रु. **10,000/-**

बोली / ईएमडी / भागीदारी के लिए अनुरोध पत्र जमा करने की अंतिम तारीख : **03.12.2026** शाम **05.00** बजे तक।

*** ऋण अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में लागू आगामी ब्याज के साथ, आकस्मिक व्यय, लागतों, प्रभातों आदि सहित भुगतान और / या उसकी वसूली की तारीख तक खर्च।**
संपत्ति के निरीक्षण के संबंधित किसी भी सहायता के लिए, या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया **1. मनोज कुमार पाण्डे, भ्रमणध्वनी क्र. : 9835422089 और ई-मेल : manojkumarpc@chola.murugappa.com 2. केशव कुमार, भ्रमणध्वनी क्र. : 9386742491 और ई-मेल : kumarp@chola.murugappa.com** पर सम्पर्क करें। **चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एंड फायनान्स कंपनी लिमिटेड** के अधिकृत **चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त अचल संपत्तियों / सुरक्षित आस्तियों के संबंध में कोई बाधा नहीं है।

हस्ताक्षर/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 31.10.2026
स्थान : वैशाली / आरा, बिहार
कृते चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कम्पनी लिमिटेड